



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE



एन.टी.सी.सी. मेट्र, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. एचआरडी-II/स्थानांतरण/एजीटी/2025/1327

दिनांक: 02.04.2025

शुद्धिपत्र

सेवा में,

सभी अपर कें.भ.नि.आयुक्त (मुख्यालय)/निदेशक पीडीनास/अपर कें.भ.नि.आयुक्त
सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त,
क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त) प्रशा -
मुख्यालय) के प्रभारी सहित
सभी सहायक भ.नि. आयुक्त।

विषय: विभिन्न संवर्गों में एजीटी 2025 आदेशों से उत्पन्न शिकायतों का निवारण के संबंध में
महोदया/महोदय,

कृपया मुख्यालय के दिनांक 01.03.2025 परिपत्र संख्या एचआरडी-II/स्थानांतरण/एजीटी/2025 का
संदर्भ लें, उक्त परिपत्र के बिंदु संख्या 4 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

2. "शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा निम्नानुसार है:

I. ग्रुप ए - 03.04.2025 (गुरुवार) को या उससे पहले

II. ग्रुप बी और सी

क. कर्मचारियों के लिए - 03.04.2025 (गुरुवार) को या उससे पहले

ख. आंचलिक कार्यालय के लिए - 07.04.2025 (सोमवार) को या उससे पहले"

भवदीय,


(इंद्राज सिंह)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-II (एचआरडी-II)

प्रतिलिपि: (वेबसाइट के माध्यम से)

I. कें.भ.नि. आयुक्त के निजी सचिव

II. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव।

III. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल।

IV. गार्ड फाइल।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE



एन.टी.सी.सी. मेट्टर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. एचआरडी-II/स्थानांतरण/एजीटी/2025

दिनांक: 01/04/25

सेवा में,

सभी अपर कें.भ.नि.आ. (मुख्यालय)/निदेशक पीडीनास/अपर कें.भ.नि.आ.
सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त,
क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्र.भ.नि.आ.(प्रशा-मुख्यालय) के प्रभारी सहित,
सभी सहायक भ.नि. आयुक्त।

विषय: आयुक्त संवर्ग में एजीटी 2025 आदेशों से उत्पन्न शिकायतों का निवारण - के संबंध में
संदर्भ:

- (i) पत्र संख्या एचआरडी-1/87/2024/स्थानांतरण नीति समीक्षा/विविध/1225 दिनांक 30/01/2025
- (ii) कार्यालय आदेश एचआरएम-I/टी-1(1)2025/भाग-I/609 दिनांक 27/03/2025
- (iii) कार्यालय आदेश एचआरएम-I/टी-1(1)2025/भाग-II/610 दिनांक 27/03/2025
- (iv) कार्यालय आदेश एचआरएम-I/टी-1(1)2025/भाग-1/611 दिनांक 27/03/2025
- (v) कार्यालय आदेश एचआरएम-I/टी-1(1)2025/भाग-1/612 दिनांक 27/03/2025
- (vi) कार्यालय आदेश एचआरएम-I/टी-1(1)2025/भाग-1/613 दिनांक 27/03/2025
- (vii) कार्यालय आदेश ए-22014/1/2025- एचआरएम -III/234 दिनांक 27/03/2025
- (viii) कार्यालय आदेश ए-22014/1/2025- एचआरएम -III/235 दिनांक 27/03/2025
- (ix) कार्यालय आदेश ए-22014/1/2025- एचआरएम -III/236 दिनांक 27/03/2025
- (x) कार्यालय आदेश ए-22014/1/2025 - एचआरएम -III/237 दिनांक 27/03/2025
- (xi) कार्यालय आदेश एचआरएम-IV/2025/एलडीसी/एमटीएस/टीपी-2025/311 दिनांक 27/03/2025
- (xii) कार्यालय आदेश एचआरएम-IV/2025/एसएसए/एजीटी_2025/भाग (1)/312 दिनांक 27/03/2025
- (xiii) कार्यालय आदेश एचआरएम -IV/2025/एसएसए/एजीटी_2025/भाग (1)/313 दिनांक 27/03/2025
- (xiv) कार्यालय आदेश एचआरएम -X/8(2)/2021/ राजभाषा केंद्र की स्थानांतरण नीति /314 दिनांक 27/03/2025
- (xv) कार्यालय आदेश एचआरएम -IV/2025/SSA/एजीटी_2025/भाग (1)/315 दिनांक 27/03/2025

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेशों और स्थानान्तरण नीति 2025 का संदर्भ लें। स्थानान्तरण नीति 2025 के अनुसार, एजीटी आदेशों से उत्पन्न शिकायतें एचआर सॉफ्ट/ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

2. तदनुसार, सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त आदेशों के संबंध में अपने अभ्यावेदन, यदि कोई हों तो, नीचे दी गई ईमेल पर भेजें और उसकी प्रतिलिपि acc2.hr@epfindia.gov.in पर भेजें:

I. ग्रुप ए के लिए - rc1.hrm@epfindia.gov.in

II. ग्रुप बी के लिए (एसटीओ, जेटीओ को छोड़कर) - groupb.transfer@epfindia.gov.in

III. ग्रुप सी के लिए (एसटीओ, जेटीओ सहित) - rc.hrm5@epfindia.gov.in

3. ग्रुप बी और सी के लिए ईमेल संबंधित आंचलिक कार्यालय द्वारा अपनी टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करनी होगी आंचलिक कार्यालय की टिप्पणियों के बिना सीधे प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4 शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा इस प्रकार है:


I. ग्रुप ए - 03.04.2025 (गुरुवार) या उससे पहले

II. ग्रुप बी और सी

क. कर्मचारियों के लिए - 03.04.2025 (गुरुवार) या उससे पहले

ख. आंचलिक कार्यालय के लिए - 07.04.2025 (सोमवार) या उससे पहले

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त से)

भवदीय,

(इंद्राज सिंह)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-II (एचआरडी-II)

प्रतिलिपि: (वेबसाइट के माध्यम से)

I. कें.भ.नि.आ के निजी सचिव

II. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव।

III. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल।

IV. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी संघ, लुधियाना।

V. गार्ड फाइल।


(इंद्राज सिंह)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-II (एचआरडी-II)